

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैंसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	सुरेन्द्र प्रसाद पिता-लाल चन्द्र प्रसाद ग्राम-महम्मदपुर पो०-रसीया थाना-ओंगारी जिला नालंदा एम०सी०एस-जी० 9045	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	निर्मला देवी पति- वेद प्रकाश मंडल ग्राम-ज्ञानी दास टोला 09 पो-ज्ञादी दास टोला थाना-रंगरा ओ०पी० जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 11831	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मो० दिलशाद पिता-अली अनवर ग्राम-अजवा सिंगर मोहानी पो०-जोकीहाट थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 10380	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-शिवपुजन प्र० चौरसीया ग्राम-भरपुरा पो०-सोनपुर थाना सोनपुर जिला सारण एम०सी०एस-एफ 79379	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	सुरेश राय पिता-रामध्यान राय ग्राम-रसुलपुर पो0-सुतिहार थाना डेरनी जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 9122	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	काजल देवी पति-मनीष राय ग्राम-शिवकुंड पो0-शिवकुंड थाना-हेमजापुर जिला-मुंगेर एम0सी0एस-जी0 11769	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	राजेश सिंह पिता-कामता सिंह गाम-मोखतारपुर पो0-रामनगर थाना-खुदावा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-एफ 97093	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	उषा देवी पति-अशोक कुमार ग्राम-इक्किल पो0-इक्किल थाना-मखदुमपुर जिला जहानाबाद एम0सी0एस-डी0 84742	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	शम्भु कुमार राम पिता-विजय राम गाम-रामपुर पो0 वारिस नगर थाना-वारिस नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 11429	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	महलूदन नेशा पति-अली अहमद ग्राम-किशुनबाग पो0-बेतिया थाना-कालीबाग जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 12438	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	मंजुला देवी पति-विष्णुदेव यादव ग्राम-गढीया लोहर पो0-रसलपुर थाना-नवहट्टा जिला सहरसा एम0सी0एस-एफ 96086	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

12	सुधा कुमारी पति विनय कुमार यादव ग्राम-केवटगाव वार्ड 14 पो0-लक्ष्मीपुर चडी स्थान थाना-कुमारखड जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 9313	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	द्वारिका साह पिता-मिश्र साह ग्राम-प्यारेपुर पो0-बरौली थाना-बरौली जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-एफ 11621	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	शैलेन्द्र कुमार गुप्ता पिता-अशोक कुमार गुप्ता ग्राम-लौवान पो0-हरदिया थाना-बडहरिया जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 66995	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	धर्मवीर ठाकुर पिता-स्व0 राम नन्दन ठाकुर ग्राम-तीरा पो0-चेरों थाना-चेरों जिला नालंदा एम0सी0एस-जी0 9682	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मनी देवी पति-उपेन्द्र ठाकुर ग्राम-चंदौली पो0-चंदौली थाना-पुसा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 10163	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मो0 अरिफ मंसुरी पिता-जसीम मंसुरी ग्राम-झंडापुर पो0-झंडापुर थाना-बिहपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 11471	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	रंभा कुमारी पति-अनुज कुमार ग्राम-दयालचक पो0-दिहुली थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 5494	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	गुंजन कुमार पिता-नरेश महाराणा ग्राम-खुजरीडीह पो0-छत्रहार थाना-शंभुगज जिला बाका एम0सी0एस-जी0 12881	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	केराई राय पिता-गोनौर राय ग्राम-धरफरी पो0-धरफरी थाना-देवरिया जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 7706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	सरवरी खातुन पति-मो0 हसनैन ग्राम+पो0-सुल्तानपुर कला थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 6197	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
22	बिल्दु साह पिता-महावीर साह ग्राम+पो0-बेनीपट्टी थाना बेनीपट्टी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 10387	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	शीला देवी पति-बिहारी यादव ग्राम-अलीपुर वार्ड 8 पो0-नवादा बाजार थाना-रजौन जिला बांका एम0सी0एस-एफ 74232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अजीत कुमार पिता-दुनदुन प्रसाद ग्राम-बछिली पो0-दौलतपुर अहित थाना-घोषी जिला जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 10219	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	वीणा देवी पति-बिरेन्द्र जयसवाल ग्राम-अमनौर हरनारायण पो0-अमनौर थाना-अमनौर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 11440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	शोभा देवी पति-नवल किशोर गुप्ता ग्राम-कॉप बाजार पो-कॉप थाना-सौर बाजार जिला सहरसा एम0सी0एस-जी0 6140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	उषा देवी पति-बजरगबली चौधरी ग्राम-यारपुर पो-जी0पी0ओ0 थाना-गर्दनीबाग जिला पटना एम0सी0एस-बी0 8089	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
28	राम पुकार महतो पिता-राजनाथ महतो ग्राम-खुशी पो-कर्मा भागवान थाना-मुफसिल जिला औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 11592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	लालदेव रविदास पिता-बोधु रविदास ग्राम-मुरारपुर पो-उपसिर्योवा थाना हिलसा जिला नालदा एम0सी0एस- एफ 50534	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
30	कुती देवी पति-स्व0 राजदेव पाडेय ग्राम-आमी चौहानी पट्टी पो-आमी थाना-दिघवारा जिला सारण एम0सी0एस-जी0 11492	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सजय कुमार सिंह पिता-स्व0 तिलकधारी सिंह ग्राम-पुराना पोखर रघुनाथ मिश्रा की गली पो-डुमरॉव थाना-डुमरॉव जिला बक्सर एम0सी0एस-जी0 11565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सुमित्रा देवी पति-सतीश चौरसीया ग्राम-महेशखुट पुवारी टोला पो-महेशखुट थाना-महेशखुट जिला खगडिया एम0सी0एस-जी0 12416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मोमनी देवी पति योगेन्द्र पासवान ग्राम-खैरा गढिया पो0-खगरा चंदा थाना-नरपतगंज जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 173	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	कमली देवी पति-महेश पंडित ग्राम-गोदियारी पो0-ब्रहमपुर थाना फुलपरास जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 11532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	गगा साव पिता-भिखारी साव ग्राम-विश्वकर्मा नगर पो0 बरबीघा थाना-बरबीघा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-जी0 9148	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	प्रमिला देवी पति-अवधेश यादव ग्राम-माझी गोदापर पो0-माझी थाना माझी जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 68437	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	छोटे महतो पिता-स्व0 राम बाबु ग्राम-करमलीचक पटना सिटी पो0-बेगमपुर थाना बाईपास जिला पटना एम0सी0एस-जी0 11684	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	इन्दर पिता-स्व0 विष्णु ग्राम-सलाहपुर पो0-सरैया थाना जी0बी0 नगर जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 11777	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	सदानन्द दास पिता डोमन दास ग्राम-परवता पो0-परवता थाना-परवता जिला खगडिया एम0सी0एस-जी0 11393	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	विमल देवी पति-मोहन महतो ग्राम-माधोपुर पो0-सतनपुर थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 11874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	कमलेश्वरी यादव पिता-महथी यादव ग्राम-चौघारा पो0-हरदी थाना+जिला सुपौल एम0सी0एस-एफ 98887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	अश्विनी कुमार सिन्हा पिता-रामेश्वर प्रसाद ग्राम+पो0-फतेहपुर थाना-फतेहपुर जिला-गया एम0सी0एस-एफ 80996	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	मनीषा देवी पति-शकर राय ग्राम-महादेव मठ पो0-उजुआ थाना-कु0 स्थान पूर्वी जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 93458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	शशिकांत पिता-ज्ञानेश्वर महतो ग्राम-रामजीचक पो0-बाटागज थाना-दीघा जिला पटना एम0सी0एस-एफ 24763	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
45	सोनम कुमारी पति मोहन कुमार ग्राम-केवली पो0-गौरा थाना- लक्ष्मीपुर जिला-जमुई एम0सी0एस-जी0 1168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	गणेश कुमार पिता-रितुराज कुमार ग्राम-दयालपुर पो0 दयालपुर थाना-चडी जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 6675	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

47	पुष्पा देवी पति-छबिला पासवान ग्राम-अधेरी पो0-मोकरपुर थाना-सदर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 4304	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	प्रतिभा देवी पति-नद किशोर सिंह ग्राम-शिकारपुर वार्ड 6 पो0-शिकारपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 70469	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	उषा देवी पति-शिवजी पासवान ग्राम-घुसुक टोला दीघा पोसलसन पोस्ट-दीघा थाना-दीघा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10810	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	राधा देवी पति-राजेन्द्र साव ग्राम-सेलारपुर पोस्ट-लोवान थाना-शकुराबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 62382	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	मो0 पानो पिता-करमु ग्राम-गौरा पो0-सदोभ थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 13043	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
52	नदनी देवी पति-ब्रजेश कुमार यादव ग्राम-इगलिश पो0-फरका थाना-सबौर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 88631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	मनोरमा देवी पति-छोटन ठाकुर ग्राम-दाहौर पो0-अचुआरा थाना-बाढ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12883	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	नागेन्द्र राय पिता-स्व० मेही राय ग्राम-धूसर महाराजी टोला वार्ड 13, पो०-टीकापट्टी थाना-टिकापट्टी जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 11933	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	राजेश सिंह पिता-शैलेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो०-मलाही थाना-सुरसड जिला-सीतामढी एम०सी०एस-जी० 2084	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
56	बलिस्टर प्रसाद पिता-राजदेव कुशवाहा ग्राम-लारौली पो०-बिशुनपुरा थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगज एम०सी०एस-जी० 11529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	साक्षी कुमारी पिता-अभिषेक सिंह ग्राम-करबा मकेर पश्चिम ठेहरा पो०-मकेर थाना-मकेर जिला-सारण एम०सी०एस-जी० 12290	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	कलाउती देवी पति-दुर्गा प्रसाद ग्राम-बारा तकिया पो०-खोदाईबाग थाना-खैरा जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 95915	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	दर्शन मुखिया पिता-स्व० राधे मुखिया ग्राम+पो०-पामा थाना-पस्तपार जिला-सहरसा एम०सी०एस-जी० 9433	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	रजीत प्रसाद पिता-कमता बिन्द ग्राम-राजापुर पो०-रुकुन्दी झिकटिया थाना-गोह जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-जी० 12238	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	पानो देवी पति-योगेन्द्र महतो ग्राम-पिरोखर पो0-चोरौत थाना-मधवापुर जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 11669	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	रामचन्द्र महतो पिता- स्व0 राम भरोस महतो ग्राम-चलकी पोस्ट-दौलतपुर थाना-खोदावन्दपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 1271	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	राम बालक राय पिता-स्व0 रास बिहारी राय ग्राम-दीदारगज पो0-कटरा बाजार थाना-दीदारगज जिला पटना एम0सी0एस-जी0 12018	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	अरविन्द पासवान पिता-भिखारी पासवान ग्राम-मननपुर 13 पो0-सादीपुर घाट थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 89168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	लक्ष्मी देवी पति-उमेश गिरि ग्राम-भरहोपुर मठिया पो0-एकमा थाना एकमा जिला-सारण छपरा एम0सी0एस-ई0 91745	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
66	बजरगी मेहता पिता-रामदास सिंह ग्राम-क्षीपालपुर पो0-क्षीपालपुर थाना-गीधा जिला भोजपुर एम0सी0एस-जी0 10230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	मेघनाथ भगत पिता-यमुना भगत ग्राम-अरदा पो0-नगरा थाना-नगरा ओ0पी0 जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 12440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	सिया शरण प्रसाद पिता-बाबुचद यादव ग्राम-पचवई पो0-अल्लाहगज थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 10391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	वीणा देवी पति-अरुण सिंह ग्राम-रघुराम टोला औटा पो0-औटा थाना-हाथिदह जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88908	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
70	सावित्री देवी पति-बिन्देश्वर सिंह ग्राम-कौडीया पो0-इगना थाना-कोच जिला-गया एम0सी0एस-जी0 12371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	मास्टर गणेश कुमार पिता- रितुराज कुमार ग्राम- दयालपुर वार्ड 08 पो0- दयालपुर थाना- चडी जिला- नालदा एमसीएस न0- जी 6675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	नन्द किशोर पंडित पिता-जगदीश पंडित ग्राम-रामपुर पो0-रामपुर थाना-अमडडा ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9238	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	राजेन्द्र मडल पिता-माहेश्वरी मडल ग्राम-झगरुआ पो0-जागेली थाना-श्रीनगर जिला-पूर्णिमा एम0सी0एस-जी0 12511	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	मनोज सिंह पिता-मगल सिंह ग्राम-लगुनी पो0-बरेजा थाना-दाउदपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 5462	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	प्रमोद कुमार पिता-जवाहिर राय ग्राम-चदपुरा पो0-चदपुरा दारक थाना-राघोपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 95147	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	शिवकुमरीया देवी पति-सिन्धु राय ग्राम-रामजीचक स्कुल रोड दीघा, पो0-बाटागज थाना-दीघा जिला पटना एम0सी0एस-जी0 8170	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
77	तौसिफ आलम पिता-स्व0 गुलाम हुसैन ग्राम-अमझर शरीफ पो0+थाना-हसपुरा जिला औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 10634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	काब्या कुमारी पिता-देवकरण कुमार ग्राम-वार्ड 05 खौना पोस्ट-गगापुर थाना-हुलासगज जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 6408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	भुषण सिंह पिता-चुल्हाई सिंह ग्राम-नारायणपुर सपाही पो0-सगोपट्टी थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 72023	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
80	शकील अहमद पिता-शेख शमसुद्दीन ग्राम-कोडर पो0-पी0 भगवानपुर थाना थावे जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 9336	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
81	उमा देवी पति-दिनेश प्रसाद ग्राम-मानसर पो0-कुमना थाना-कोपा जिला सारण छपरा एम0सी0एस-एफ 97419	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	अश राज पिता-रमेश कुमार यादव ग्राम+पो0 बसमत्ता थाना-बेलहर जिला-बाका एम0सी0एस-जी0 4278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	तनिक बिद पिता-दरोगी बिद ग्राम-बरहपुर बिन्द टोली पो0-मोर थाना मोकामा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10908	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	हामिद मिया पिता-रसुल मिया ग्राम+पो0-भिट्टी थाना-गोरैया कोठी जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 98434	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
85	राजपती देवी पति-वकील राम ग्राम-पार नवादा 12 पोस्ट-मानीकपुर थाना+जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 5189	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	मीना कुमारी पति-विजय कुमार सिंह ग्राम-गोरैया कोठी पो0-गोरैया कोठी थाना-गोरैया कोठी जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 96997	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	इस्मत आरा पति-अब्दुल बहाव ग्राम-कोल्हुआ दरगाह पोस्ट-अनुग्रह नगर थाना-मैरवा जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 11912	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
88	शीला देवी पति-जनार्दन झा ग्राम-भट्टा रोड गडडया टोला पो0-हेड पोस्ट आफिस थाना-ईशाचक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 11127	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	जय प्रकाश चौधरी पिता-किशोर चौधरी ग्राम-भैसडा पो0-वासुदेव डिहरी थाना दिनारा जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 12566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	सुमन देवी पति-भोला तिवारी ग्राम-रढिया वार्ड 02 पो0-रढिया थाना-गोविन्दगज जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 85869	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
91	चुन्नी देवी पति-पंकज सिंह ग्राम-समसपुरा पो0-समसपुरा थाना-महुआ जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 8579	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	विभा देवी पति-अनिल प्रसाद ग्राम-नया टोला जहानाबाद 18 पो0-जहानाबाद थाना-जहानाबाद जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 8480	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	सुनीता कुमारी पति-महेश कुमार रजक ग्राम-द्रवी लेन दानापुर कैट पो0-दानापुर कैट थाना दानापुर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 69319	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	लालती देवी पति-सकलदेव राय ग्राम-जेदुली पो0-कच्ची दरगाह थाना-फतुहा जिला पटना एम0सी0एस-जी0 12192	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	जगदीश पिता-सुन्दर राय ग्राम-बहादुरपुर पो0+थाना गोरौल जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 886	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	रितु कुमारी पति रमेश कुमार ग्राम-रघरपुरा पो0-रघरपुरा थाना-सुरसड जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 87033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	राम बाबु साह पिता-लखी साह ग्राम-जलालपुर दयाल पो0-गोपालपुर नेउरा थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-डी 3591	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
98	शैलेन्द्र मिस्त्री पिता-स्व0 फुहु मिस्त्री ग्राम-शोरपुर पो0-इतासंग थाना-रहुई जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 2429	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	स्वीटी कुमारी पति विनय कुमार ग्राम गोन्दु बिगहा पो0-मोहिउद्धीनपुर थाना-चीकसौरा जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 95725	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	शनिचरी देवी पति-बासदेव राय ग्राम-धूपराचक पो0-आलमपुर गोनपुरा थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना एम0सी0एस-एफ 82545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	सयुक्ता देवी पति-अरविद प्रसाद ग्राम-फतेहपुर पो0-फतेहपुर थाना-टिकारी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 54678	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
102	रविना देवी पति-राजीव कुमार चौधरी ग्राम+पो0-बछवाडा थाना-बछवाडा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 12293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	रीना देवी पति-राजेश कुमार यादव ग्राम-सुल्तानपुर पोस्ट+थाना-आन्दर जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 11358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	सोनिया देवी पति-रोहन मंडल ग्राम-मानिकपुर पो0-कवादपुर थाना-मानिकपुर जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 10053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	राजगीर कुमार पिता-सुधीर पासवान ग्राम-बाजिदपुर बम्बैया पो0-बाजिदपुर बम्बैया थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 1378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	प्रतिभा मिश्रा पति-मुनेश्वर मिश्रा ग्राम-अशोक नगर पोखरिया वार्ड 36 पो0-बेगुसराय थाना-बेगुसराय टाउन जिला-बेगुसराय एम0सी0एस0-एफ 96409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	कुशेश्वर बरबरीया पिता-लाल बहादुर यादव ग्राम+पोस्ट-बेलही थाना-लौकही जिला-मधुबनी एम0सी0एस0-जी0 12325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	पलक कुमारी पिता-पकज कुमार ग्राम-भवर पोखर नियर देवी स्थान, पो0-बाकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना एमसी0एस-जी0 4840	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	मो0 मशकुर आलम पिता-अब्दुल हई ग्राम-चादी पोस्ट-नरही चादी थाना चादी जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 441	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

110	बद्री चौधरी पिता—स्व० बख्खु चौधरी ग्राम—दौलतपुर सिमरी पो०—बहपुरा थाना—बिहटा जिला पटना एम०सी०एस—जी० 12083	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	उमावती देवी पति—प्रमोद पंजीयार ग्राम—पहकौल पो०—जमुनिया थाना—सहोदरा जिला प० चम्पारण एम०सी०एस—जी० 3552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	गयासउदीन पिता—नजीर ग्राम—बुधरा पोस्ट—पोठिया थाना—पोठिया जिला—किशनगज एम०सी०एस—एफ 37274	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
113	ललिता देवी पति—ददन चौधरी ग्राम—जगवलिया पो०—सरैयाँ थाना—मुफसिल जिला—भोजपुर एम०सी०एस—जी० 11843	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	बाजुल हक पिता—नटाय मिया ग्राम+पो०—निर्मली थाना—निर्मली जिला—सुपौल एम०सी०एस—जी० 8071	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
115	मीरा देवी पति—राजेन्द्र ठाकुर ग्राम—सिहपुर पो०—बलहपुर थाना—नया गाँव जिला—बेगुसराय एम०सी०एस—डी० 76595	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
116	बीबी रेणु पति—मोहम्मद बककर ग्राम—छतिया पो०—भोग भटगामा थाना मुफसिल जिला—पूर्णिया एम०सी०एस—एफ 91974	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

117	उदय कुमार पासवान पिता-शिवजी पासवान ग्राम-बथुआहा पो0-सतधारा थाना-बाबु बरही जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 12456	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	जवाहर लाल पासवान पिता-स्व0 गणेश पासवान ग्राम-बनकटवा पो0-बनकटवा थाना-जीतना जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 8397	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	शोभा देवी पति-कन्हैया कुमार साह ग्राम-नोनीपाकड पो0-गोबरौरा थाना-साठी जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 51542	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
120	नीलम देवी पति-उपेन्द्र साफी ग्राम-अकशपुरा पो0-केवलपट्टी थाना-खजौली जिला मधुबनी एम0सी0एस-ई0 29258	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
121	कृष्णा मंडल पिता-जागो मंडल ग्राम-चद्र टोला पीर पहार पो0-तौफीर थाना-मुफसिल जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 8956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	इन्द्रावती देवी पति मदन सिंह ग्राम-बासुदेवा पो0-बहदर थाना-नावानगर जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 9190	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
123	सरिता देवी पति-सजय राम ग्राम-रिफातपुर पो0-सादीपुर थाना-ईशीपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 2453	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

124	शेषनाथ यादव पिता-राजबली यादव ग्राम-जियॉय पो0-जियॉय थाना-मुफसिल जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	कारी देवी पति-सुरेश सिंह ग्राम+पो0-गोपालकेडा थाना-मोहनपुर जिला-गया एम0सी0एस-ई0 28914	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
126	मुन्नी देवी पति-कन्हैया मडल ग्राम-द्वाशय पोस्ट-द्वाशय थाना-डडखोरा जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 83297	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	राजेश्वर सिंह पिता-सीताराम सिंह ग्राम-चकिया पो0-परासी थाना-परासी जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 11762	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	मीना देवी पति-राजेश मडल ग्राम-नयॉगॉव नियर बी0डी0 ओ0 आफिस जमालपुर पो0-जमालपुर थाना-इस्ट कोलनी जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 8464	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	अमर कुमार गौरव पिता-स्व0 प्रेम नारायण प्रसाद ग्राम-रोड न0-2 गर्दनीबाग पो0-जी0पी0ओ0 थाना गर्दनीबाग जिला-पटना एमसीएसन0-जी0 8405	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
130	खैरुला खातुन पति-बाबुजान मियॉ गाम बरहन गोपाल पो0-बरहन गोपाल थाना-मुफस्लि जिला-सीवान एमसीएसन0-जी0 12118	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

131	वासदेव राय पिता-गणेश राय ग्राम-रघुनाथपुर पो0-सहथा थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली एमसीएसन0-जी0 3776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	नसीमा खातुन पति-मो0 असलम ग्राम-चकलोकमान पोस्ट+थाना दलसिह सराय जिला-समस्तीपुर एमसीएसन0-जी0 2862	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
133	अनिता देवी पति-राजन मिश्रा ग्राम-लखनीपुर पो0-पहाडपुर थाना-पहाडपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99573	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
134	सरवरी खातुन पति-मो0 सुहैल अहमद ग्राम-इसा नगर नया टोला मदरसा गली, पो0+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 11439	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
135	दुर्गावती कुमारी पति-सुधीर यादव ग्राम-हरदिया पो0-हरदिया थाना-पचरूखी जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 9003	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	लहसिया देवी पति-चन्द्र विलास सिंह ग्राम-चमन्डी पोस्ट-पोंडिल थाना-कुर्था जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 11576	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
137	इन्द्रपती देवी पति-हरि किशोर महतो ग्राम-सानी बीगहा पोस्ट-बगाही थाना बसतपुर जिला सीवान एम0सी0एस-एफ 25129	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			99,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 99,20,000/- (निम्नानवे लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम—'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- 5 यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक


717(14)

पटना, दिनांक

13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पंडित पिता- बलिराम पंडित ग्राम- शुरवीर पो०- पटेढी थाना- महाराजगज जिला- सिवान सीआर न०- 108112401470475	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कृष्णा साहनी पिता- तपेश्वर साहनी ग्राम- शाहपुर बुजुर्ग पो०- सुक्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112502144692	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	इम्मबानी खातून पति- जाहिर देवान ग्राम- सरेया बाजार वार्ड 08 पो०- सरेया बाजार थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112403078921	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	श्याम यादव पिता- लखन यादव ग्राम- बेलहा पो०-सरोजाबेला थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न०- 108112401585825	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	देओलतिया देवी पति- राजकिशोर राय ग्राम- भग्गु टोला पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना सीआर नं0- 108112600386246	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	रूपा कुमारी पति- शशि भूषण कुमार ग्राम- चकनासिर पो0- सुक्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300658228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुरो पोद्दार पिता- तिलक पोद्दार ग्राम- मरूवाही पो0-औराय थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503267895	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सुनीता देवी पति- रविद्र कुमार ग्राम- गद्दोपुर वार्ड 05 पो0- फखरपुर थाना- करपी जिला- अरवल सीआर न0- 108112501308683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो0 अकबर पिता- असमत मिया ग्राम+पो0- बरदाहा थाना- नरपतगज जिला- अररिया सीआर नं0- 108112503160292	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	बिना देवी पति- किसुन मडल ग्राम- चकरामी बासा वार्ड 04 पो0- बरगाव थाना- आलमनगर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112503307102	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सोनी कुमारी पति- धर्मनाथ कुमार ग्राम- रहीमापुर वार्ड 03 पो0- रहीमापुर थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600204822	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	हरेन्द्र नारायण सिंह पिता- राम इकबाल सिंह ग्राम- मरवा बसहियाँ पो0- सोनबरसा थाना- पानापुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112403154708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	वीणा देवी पति- हरिलाल कामैत ग्राम+पो0- बसावनपट्टी थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर न0- 108112300795152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
14	सजीव सहनी पिता- विशो सहनी ग्राम+पो0- अंतौर थाना- बहेडा जिला- दरभंगा सीआर न07 108112600113801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
15	शिव प्रसाद सिंह पिता- मिश्री लाल सिंह ग्राम+पो0- हरभगा थाना- आर0एस0 जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112503084031	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	चिता देवी पति- स्व0 बलिराम मिश्रा ग्राम- महदह वार्ड 05 पो0- महदह थाना- मुफसिल जिला- बक्सर सीआर न0- 108112502100954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
17	आरती देवी पति- सतोश कुमार राय ग्राम- हेवतपुर वार्ड 05 पो0- मानपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112503505192	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	शहीना पति- अनबायल ग्राम-मसुरिया वार्ड 12 पो0- मसुरिया थाना- महलगाव जिला- अररिया सीआर न0- 108112501116679	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	मुन्नी देवी पति- बाल मुकुद सिंह ग्राम- शेरपुर पो0- मालपुर थाना- मरांची जिला- पटना सीआर न0- 108112502408410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बीबी जैबुन निशा पति- मो0 मन्नाना ग्राम- चिल्हणिया वार्ड 13 पो0- बागनगर थाना- महलगाव जिला- अररिया सीआर नं0- 108112500471858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	आशा देवी पति- मुशाहारू यादव ग्राम- धरमपुर पो0- बासुदेवपुर थाना- लोकहा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502985786	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	कुशमा देवी पति- दिलीप पासवान ग्राम- मलकलीपुर पो0+थाना- विद्यापतीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 10811250337516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सबिया खातून पति- मो0 समशुल हक ग्राम- भवानन्दपुर पो0- पानापुर थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600047575	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	पुष्पा झा पति- नवीन झा ग्राम- घोघरडीहा वार्ड 10 पो0+थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112402014147	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सोमिया देवी पति- सुरेश राम ग्राम- सिसवा खरार वार्ड 15 पो0- सिसवा खरार थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500286554	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	सानो देवी पति- सुभाष शर्मा ग्राम- घोसाई वार्ड 07 पो0- घोसाई थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर नं0- 108112503471166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सुनिता कुमारी पति- सजय कुमार ग्राम- कारवां वार्ड 03 पो0- कारवा थाना- आरा जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112300707954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	बीबी मकीना पति- मो0 मुसी ग्राम- गगापट्टी पो0- कटवासी थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600174621	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	अविनाशी सिंह पिता- शिवनाथ सिंह ग्राम- कबीरपुर वार्ड 02 पो0- सिधवलिया थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112600036041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	रुकमणि देवी पति- परमानन्द साह ग्राम- तीनधारा पो0- सहसौल थाना- बसनही जिला- सहरसा सीआर न0- 108112301157087	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	कुती देवी पति- फागु यादव ग्राम- घुटवे वार्ड 04 पो0- सिमुलतला थाना- चन्द्रमडीह जिला- जमुई सीआर न0- 108112503218291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	मोबिना खातून पति- फरहाद खान ग्राम- डेनमारवा वार्ड 11 पो0- डेनमारवा थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112600123733	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मो० समदूल पिता- लाल मोहम्मद ग्राम- मुरली भरना पो०- मुरलीबसन्तपुर थाना- बनगाव जिला- सहरसा सीआर न०- 108112600164006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	किरण देवी पति- कौशल किशोर साह ग्राम- बिशुनपुर बधनगरी वार्ड 01 पो०- बिशुनपुर बधनगरी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112401357148	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	पूजा देवी पति- वंशी सिंह ग्राम- देवकुली वार्ड 03 पो०- सरावक थाना- कासमा जिला- औरंगाबाद सीआर न० 108112600153179	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मजू देवी पति- सतेन्द्र राय ग्राम- धूमहा पो०- योगिवना थाना- सहियारा जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112501508771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	शम्भू प्रसाद पिता- नरसिघ महतो ग्राम- बैकुठवा पो०- खडा कुजलही थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112600107100	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	शिवनारायण शर्मा पिता- परमेश्वरी शर्मा ग्राम- मधुरा पो०- गधिया थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा सीआर नं०- 108112502845763	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मुन्ना राय पिता- स्व० भागेरा राय ग्राम- मानस नया पानापुर पो०- मानस थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न०- 108112500741951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	विमला देवी पति- विरेन्द्र सिंह ग्राम- नयका बडका बैजू टोला पो0+थाना- रिविलगंज जिला- सारण सीआर न0- 108112403659125	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	रीता देवी पति- इद्रदेव रजक ग्राम- कदवा बगरी टोला वार्ड 08 पो0- कदवा दियारा थाना- कदवा जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112600106049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	सुनीता देवी पति- मडल यादव ग्राम- पहलू बिगहा वार्ड 08 पो0- नौरु थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद सीआर नं0- 108112600174273	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	गुलिया पति- मो0 सत्तार मिया ग्राम- सबुतर पो0- काझा थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112503612363	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सुजीत कुमार पिता- त्रिलोकी सिंह ग्राम- पटेडी खुर्द वार्ड 05 पो0- अनिरुद्ध बेलसर थाना- बेलसर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501323551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	युगेन्द्र चौहान पिता- स्व0 रामजनम चौहान ग्राम- सलेया कर्मा पो0- पिरौटा थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112600021191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	शम्भु राय पिता- राजवशी राय ग्राम- खरीदहा वार्ड 11 पो0- अपहर थाना- भेल्दी जिला- सारण सीआर न0- 108112600182314	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	विजय सिंह पिता- स्व0 दशरथ सिंह ग्राम- नयागाव वार्ड 04 पो0- छितरौर थाना- नयागाव जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600154817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	तरन्नुम खातून पति- फैयाज साई ग्राम- माधोपुर बैरिया वार्ड 07 पो0- अमोलवा थाना- गौनाहा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112301149424	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	अनिल कुमार मिश्रा पिता- रामसकल मिश्र ग्राम- कमतौल पो0- माधोपुर दिघरूआ थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300302717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	रेणु देवी पति- नवीन कुमार सिंह ग्राम- बालगुदर वार्ड 08 पो0- बालगुदर थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112502490931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सिरो यादव पिता- सरयुग यादव ग्राम- शेखपुर चमन गोसाई टोला वार्ड 14 पो0- शहजादपुर थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300497542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	लीला देवी पति- बासुदेव चौधरी ग्राम- जाफरा पो0- सरावे थाना- सिवान जिला- सिवान सीआर न0- 108112501183821	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	शुशीला देवी पति- शशि भूषण चौरसिया ग्राम- मुतलुपुर वार्ड 16 पो0+थाना- तेघरा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502707506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	विद्या नन्द मुखिया पिता- कालीचरण मुखिया ग्राम- जीवछपुर वार्ड 11 पो0- जीवाछपुर थाना- भीमपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112503075376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	मीणा देवी पति- बृदा नन्द रजक ग्राम- दौलतपुर वार्ड 07 पो0- दौलतपुर थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112401735665	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	मजू देवी पति- पारस कुमार सिंह ग्राम- चमरहरा वार्ड 11 पो0- महनार रोड थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर न0- 108112503236086	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	जामो देवी पति- पागो सदा ग्राम- शिवनगर पो0- लोशघानी थाना- पीरी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112600047191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	भरत साह पिता- पददू साह ग्राम- नियामतपुर पो0- संझा थाना- रजौन जिला- बाका सीआर न0- 108112403856311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	अशोक दास पिता- मुनेश्वर दास ग्राम- खतरीचक पो0- कन्हौली थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600243739	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	पवन कुमार पिता- सरजुग महतो ग्राम+पो0+थाना- तैलहारा जिला- नालदा सीआर न0- 108112503701463	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	पुष्पा योगेश्वर सिंह पति- योगेश्वर सिंह ग्राम- खरत पो0- छाता थाना- मसौढी जिला- पटना सीआर न0- 108112402378041	Catatact surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
62	कहकशा शाहीन पिता- मो0 अलाउद्दीन ग्राम- बरदौनी वार्ड 01 पो0- बरही थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112401191967	कोकलियर इम्प्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
63	तनुजा खातुन पति-मो0 मुस्तफा ग्राम- अब्दुल्लाहचक वार्ड 13 पोस्ट-परसा बाजार थाना-परसा बाजार जिला-पटना सीआरन0-108112401905188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	अजीत कुमार सिंह पिता- उपेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- खानपुर पकडी थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600221204	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			54,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 54,70,000/- (चौवन लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~002607~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 718(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख 13/3/26

स० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदर्श कुमार पिता— सत गोड ग्राम— पाडेयपुर वार्ड 13 पो०— बरीसवन थाना— शाहपुर जिला— भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सिटू कुमार पिता— देवपति देवी ग्राम— धारायचक पो०— सोरमपुर थाना— जानीपुर जिला— पटना	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अनुराग कुमार पिता— संतोष सिंह ग्राम— दिघी कला पूर्वी पो०— दिघी कला थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	Decortication	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	दिवेश कुमार पिता— गजेद्र कुमार सिंह ग्राम+पो०— हकमा पो०— गरखा जिला— सारण	Decortication	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	अजली कुमारी पिता- रामशरण पडित ग्राम- सोभानी पो0- जहागीरा थाना- खगडिया	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
6	पकज कुमार पकज पिता- विष्णु देव ठाकुर ग्राम+पो0- बलहा थाना- परबत्ता जिला- खगडिया	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	बबिता कुमारी पिता- वीगन राम ग्राम+पो0- बजारी थाना- रोहतास जिला- रोहतास	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
8	विन्धायचक मल्लाह पिता- रामाशंकर मल्लाह ग्राम- बडकी नैनीजोर पो0+थाना- नैनीजोर जिला- बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
9	कृष्णचन्द्र सिंह पिता- रामबृक्ष सिंह ग्राम- गुरमिया पो0- थाथन बुजुर्ग थाना- हाजीपुर सदर जिला- वैशाली	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	विनोद प्रसाद पिता- स्व0 राम उदित प्रसाद ग्राम+पो0- शिवनगर थाना- परवलपुर जिला- नालंदा	राईट हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	राकेश रौशन कुमार पिता- मुन्ना भगत ग्राम- दोगी पो0- गोरौर थाना- छबिलापुर जिला- नालंदा	बोथ हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
12	हीरा लाल गुप्ता पिता- चौधरी साह ग्राम+पो0- देव थाना- सिकरहट्टा जिला- भोजपुर	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
13	रिजवाना खातून पति- मो0 जाहिद हुसैन ग्राम+पो0- डेहटी थाना- पलासी जिला- अररिया	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

14	बसती राना पति- आनद कुमार राणा ग्राम- मगल बाजार डी एनरोड पो0+थाना- बासुदेवपुर जिला- मुंगेर	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
15	शफीउल्लाह मिट्टू पिता- मो0 नासियअल्लाह ग्राम+पो0- बेलामेध थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	आयेशा खातून पिता- मो0 रहमतुल्ला ग्राम- भेभुआ पो0- कोरियाही थाना- सुरसड जिला- सीतामढी	Congenital Scoliosis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
17	आकाश कुमार पिता- रमेश पासी ग्राम+पो0- मोथा थाना- काराकाट जिला- रोहतास	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
18	रामाकात शर्मा पिता- बच्चू शर्मा ग्राम+पो0- नारायणपुर थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	बिट्टु कुमार पिता- मोती राम ग्राम- दिलमोहम्मद गज पो0- पोखराहां थाना- फेसर जिला- औरंगाबाद	ब्रेन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
20	मनभावती कुमारी पिता-शिवनाथ शर्मा ग्राम-डुमरा पोस्ट-डुमरा थाना-जामो बाजार जिला-सीवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			27,75,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 27,75,000/- (सताईस लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 202607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु,

बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507
RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 719 (14)

पटना, दिनांक

13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 102607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुधाशु कुमार पिता- राजेद्र प्रसाद शर्मा ग्राम- नौनेर पो०- डिहरा थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद रजि नं०- 3000624366	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	उदय शंकर वर्मा पिता- स्व० शिव नंदन महतो ग्राम- रामजी चक नियर जहाज घर वार्ड 30 पो०- बाटागंज थाना- दीघा जिला- पटना रजि नं०- 30000419231	किडनी रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	टिकु कुमार सिंह पिता-गुरु शरण सिंह ग्राम-कैथी पोस्ट-हवेली खडगपुर थाना-हवेली खडगपुर जिला-मुंगेर रजिनं०-3000609674	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	मो० इस्माईल पिता-मो० कलीमउद्दीन ग्राम-दलन टोला हाजीपुर 07 पो०-कटिहार कोर्ट थाना-कटिहार मुफसिल जिला-कटिहार रजिनं०-3000623791	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	अमित कुमार पिता-नारायण प्रसाद यादव ग्राम-करेल पो0-मिर्जापुर थाना-मधुसुदनपुर जिला-भागलपुर यु0एचआईडी-3000610605	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	बिरेन्द्र चौधरी पिता-कैलाश चौधरी ग्राम-करीबपुर पो0-पनहेशा थाना-शेखोपुर सराय जिला-शेखपुरा रजिन0-3000599480	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	अखिलेश कुमार शाही पिता-स्व जनार्दन प्रसाद सिंह ग्राम-नई कोलनी भुलआही खरखुरा पोस्ट-आर0एस0 गया थाना-डेल्ला जिला- गया यु0एचआईडी-3000624103	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	फटुस मडल पिता-नेवी मडल ग्राम-बनगामा वार्ड 10 पोस्ट-गुलनी कुशाहा थाना-शंभुगज जिला-बाका यु0एचआईडी-3000624223	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	फरहत बानो पिता-मो0 हारून रशीद ग्राम-रामपुर पो0-जमालपुर गोगरी थाना-गोगरी जिला खगडिया यु0एचआईडीन0-3000620094	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	लखीया पति-मोजीब ग्राम-बिजलीया महेशुआ पो0-विष्णुपुर थाना-अमौर जिला-पूर्णिया यु0एचआईडी-3000622703	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			7,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का

नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD
PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 720 (14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
13/3/26

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मालती देवी पति- वीगन दास ग्राम- खोखना पो०- सुल्तानपुर थाना- फतुआ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	सुकुन यादव पिता- सिधेश्वर यादव ग्राम- महथौर पो०- कटैया थाना- बासोपट्टी जिला- मधुबनी	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
3	निरजन कुमार चौधरी पिता- नवल किशोर चौधरी ग्राम+पो०- मनोपुर थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	राहुल कुमार पिता- मदन प्रसाद ग्राम- लखौरा ब्रह्म टोला पो०+थाना- लखौरा जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	रजय कुमार सिंह पिता- रामाश्रय प्रसाद सिंह ग्राम- मधेपुरा पो०- चंदौर थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

6	पानो देवी पति- सरोज कुमार यादव ग्राम- कुतलुपुर पो0- बिसाई बिगहा थाना- परवलपुर जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	फुलमती देवी पति- राम बृक्ष गुप्ता ग्राम- बिशनपुर बान्द्र पो0- धर्मपुर बान्द्र थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
8	अफजल हुसैन पिता- स्व0 जान मोहम्मद ग्राम- रामडीह पो0- बोरवा थाना- झाझा जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	कलावती देवी पिता- राम प्रवेश यादव ग्राम- मुबारकपुर पो0- दानापुर कैट थाना- शाहपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
10	मो0 मिन्हाज पिता- मो0 सकुर मसूरी ग्राम- नावाडीह रोड गंज मोहल्ला पो0- औरगाबाद थाना- टाउन जिला- औरगाबाद	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	रवि कुमार पिता- ओम प्रकाश पोद्दार ग्राम- बाबू मोहल्ला महनार पो0+थाना- महनार जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
12	रम्मा देवी पति- नवल किशोर सिंह ग्राम- रामनगर पो0- ढोली थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
13	विक्की कुमार पिता- वीरेन्द्र साह ग्राम- बालापुर पो0- बरवा खुर्द थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

14	उषा देवी पति- सजय साह ग्राम+पो0- धमना थाना- झाड़ा जिला- जमुई	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
15	मुकेश कुमार सिंह पिता- कमल किशोर सिंह ग्राम+पो0- नौरगिया थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
16	मसीबुल हक पिता- अब्दुल मतीन ग्राम- ताजखण्ड पो0- जलकी थाना- आजमनगर जिला- कटिहार	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
17	उर्मिला देवी पति- श्याम नारायण महतो ग्राम- छोटी पहाड़ा देवी स्थान पो0- बडी पहाड़ी थाना- अगमकुंआँ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			19,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,45,000/- (उन्नीस लाख पैंतालीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्रांड उड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष",

खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 721(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

722(14)

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक 13/3/2026

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नगमा परवीन पति- मो० फ़ैयाज सेराज ग्राम- बालकिशुन गज घेरा आलमगज नियर हाजरा कोकोनट कंपनी पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	लिवर एव हर्निया रोग	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	कलवती साह पति- दिनेश साह ग्राम- महमूदगंज खरसरा पो०- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	दीप्ति प्रिय पिता- शिवेंद्र कुमार ग्राम- तिनेरी पो०- नदौल थाना- मसौड़ी जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	दिनेश साह पिता- राज राम साह ग्राम- महमूदगंज खरसरा पो०- छाता थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

5	अंकुश प्रवेश पिता- राम प्रवेश प्रसाद ग्राम+पो0- धरहरा थाना- सिलाव जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	रिपु कुमारी पति- सुजय कुमार ग्राम- पूरा वार्ड 08 पो0- लोदीपुर थाना- तेल्हारा जिला- नालंदा	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	हरिनारायण सिंह पिता- शिवनाथ सिंह ग्राम- चीनी मिल पो0- गजाधर गज थाना- मोडल जिला- बक्सर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	गुडिया कुमारी पति- अजित कुमार ग्राम- ईस्ट रामकृष्णा नगर पो0- न्यू जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	रामकुमारी देवी पति- हरिवश राय ग्राम- कोठिया पो0- जगदीशपुर कोठिया थाना- तरियानी जिला- शिवहर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	बेबी देवी पति- उपेद्र सिंह ग्राम- मोसिमपुर पो0+थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	राम सेवक सिंह पिता- स्व0 राजनारायण सिंह ग्राम- जमुनापुर पो0- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
12	काजल कुमारी पति- अजय कुमार ग्राम+पो0- चदपुरा थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	प्रिस कुमार पिता- मिथलेश प्रसाद ग्राम+पो0- दियावा थाना- करायपरसुराय जिला- नालदा	द्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			12,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 12,00,000/- (बारह लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

722(14)

पटना, दिनांक

13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.002607.की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शोभा देवी पति- जीतेन्द्र माझी ग्राम- जाकीउलहक कॉलोनी नया टोला पो०- टी०वी० टावर थाना- अगमकुआ जिला- पटना	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	दीपक कुमार पिता- उमेश्वर प्रसाद ग्राम- चावर तकिया पो०+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	अफजुन पिता- अनुमदीन ग्राम+पो०- सिधिया थाना- किशनगज जिला- किशनगंज	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	बिटू कुमार पिता- प्रमोद चौधरी ग्राम- चौरई पो०- एकगर सराय थाना- औगारी जिला- नालदा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।

5	आशा कुमारी पिता- ब्रिद्रा यादव ग्राम- मोहनडीह पो- हरदवा थाना- डोभी जिला- गयाजी	द्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			3,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,65,000/- (तीन लाख पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002607... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 723(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लवली शर्मा पति— स्व० मनीष शर्मा ग्राम— दीघा अशियाना रोड पो०+थाना— दीघा जिला— पटना	Lap Hysterectomy	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अरुण सहनी पिता— रामबहादुर साहनी ग्राम— इद्राथर चनौर पो०— चनौर थाना— मनगाछी जिला— दरभंगा	Hip Replacement	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			1,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,45,000/- (एक लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


पटना, दिनांक 18/3/2026

ज्ञापिकांक

724114

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई .टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामकाशी देवी पति— कमलदेव सदान ग्राम— हथियाही वार्ड 01 पो०— बिरौल थाना— खजौली जिला— मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	उपेंद्र ठाकुर पिता— स्व० कुलो ठाकुर ग्राम— डुमरिया वार्ड 05 पो०— सुकतिया बाजार थाना— गोपालपुर जिला— भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सबीहा खातून पति— खैराती खान ग्राम— पिरो वार्ड 10 पो०+थाना— पिरो जिला— भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	तारा मुनि पति— कलाम कुरैशी ग्राम+पो०— मुसतफाबाद थाना— गोरेयाकोठी जिला— सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रामेश्वर सिंह पिता- शिशुपाल सिंह ग्राम- जीवराखन टोला दरवेशपुर बगीचा वार्ड 06 पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सदरून निशा पति- मजहर हुसैन ग्राम- अमियावार वार्ड 06 पो0- अमियावार थाना- नासरीगज जिला- रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	ओम प्रकाश साह पिता- राम सागर साह ग्राम- मधुसरेया पो0- कोल्हुआ थाना- माझागढ जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मुकेश कुमार पिता- स्व0 रामदेव ठाकुर ग्राम- संदलपुर मुगेर वार्ड 36 पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मोमिना खातून पति- मो0 हस्मत ग्राम+पो0- घटारो थाना- करताहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	पार्वती देवी पति- हरेराम यादव ग्राम- रामचदरपुर बहरामपुर वार्ड 05 पो0- नैपुर थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	झामा देवी पति- बिपिन यादव ग्राम- भलूई सूजान वार्ड 15 पो0- कैरिया थाना- कहलगाव जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	मो0 तैमूल पिता- मो0 सायेद ग्राम- रहमत नगर कुम्हडी वार्ड 11 पो0- दुर्गागंज थाना- कदवा जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			8,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,80,000/- (आठ लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 012607 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 725 (14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002607...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्दन कुमार पिता- सच्चिदानन्द सिंह ग्राम- सदरपुर पो०- निरिया तुलसीपुर थाना- चिकसौरा जिला- नालंदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रजन कुमार पिता- स्व० विश्वनाथ सिंह ग्राम- कंकड़बाग अशोक नगर रोड 8ए भोजपुर कॉलोनी पो०- लोहिया नगर थाना- कंकड़बाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नाजुन पति- मो० मुजफ्फर ग्राम- पीपल ओला माधेपुर पो०- माधेपुर थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	नागेद्र प्रसाद यादव पिता- स्व० धर्मनाथ प्रसाद ग्राम- हनुमान नगर कंकड़बाग पो०- लोहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002607...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 728(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002607...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना - 801503

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	परमा शर्मा पिता- स्व० बुद्धा शर्मा ग्राम- मिथिला कॉलोनी पो०- बाटागज थाना- दानापुर जिला- पटना	ERCp + Plastic Stenting	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	गीता देवी पति- सुनील कुमार मेहता ग्राम- मुशी मुहल्ला पो०+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	TLH + BSO	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	कुसुम देवी पति- स्व० रवि कुमार गुप्ता ग्राम- सगुना पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	TLH + BSO	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,35,000/-	

- 2 उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002607 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH

CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरि कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 13/3/2026

ज्ञापक 727(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002607...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गीता देवी पति— सुरेद्र प्रसाद ग्राम— रमौल पो०— बधार थाना— शिवाजीनगर जिला— समस्तीपुर	वन नी रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	काशी साह पिता— रामजी साह ग्राम— मगुराहा पो०— जोगीया थाना— रामनगर जिला— पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,80,000	

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ००२६०७ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत -- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 728(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 002607... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फुला देवी पति- राम प्रवेश राय ग्राम- टेढी घाट खाजेकला पटना सिटी पो0- झाऊगज थाना- खॉजेकला जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	दुर्गा देवी पति- दिनेश्वर प्रसाद राय ग्राम- हसनपुर जुनेद पो0- हसनपुर गुर्दा थाना- महनार जिला- वैशाली	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	विनीता कुमारी पति- मुन्ना कुमार ग्राम- मनकुढा पो0- खानपुरा थाना- पालीगंज जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	लीला देवी पति- मुन्ना चौधरी ग्राम- कहार टोली नगला पो0- झाऊगज थाना- मालसलामी जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	मोहित कुमार पिता- जवाहर पासवान ग्राम- आदर्श कॉलोनी बिजली ऑफिस गली पो0- झाऊगज थाना- खजेकला जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	पैरू मोची पिता- स्व0 राम बालक मोची ग्राम- मछरियावा बाकीपुर पो0- बाकीपुर मछरियावां थाना- फतुआ जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	महेश प्रसाद पिता- स्व0 मदन लाल ग्राम- मानष पथ जूनियर लिटिल पलोर स्कूल पटना सिटी पो0- झाऊगज थाना- खजेकला जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			5,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 5,00,000 /- (पाँच लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002627... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम-"ऑक्सीजन ड्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता

कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 13/3/2026

ज्ञापांक 729 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं०. 002607...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुसम देवी पति- सजीत शर्मा ग्राम+पो०- चकपहार थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2023/003485	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजेश्वर राय पिता- बौधू राय ग्राम- नयागाँव पो०+थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2026/000076	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कन्हैया साह पिता- परिछन साह ग्राम- मादापुर दपरा पो०+थाना- पूसा जिला- समस्तीपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2025/006840	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	सजय साह पिता- योगेन्द्र साह ग्राम- पारू बाजार टोला पो०+थाना- पारू जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2026/000863	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हौस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 730(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलमन चेक सं0 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **09.03.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	शिल्पी कुमारी पति— जलेश्वर कुमार ग्राम— अतौवा वार्ड 05 पो०— गोनवा थाना— कादिरगज जिला— नवादा	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	योगेन्द्र सिंह पिता— देवराज सिंह ग्राम+पो०— नवादा थाना— मशरक जिला— सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			2,25,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 731(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चन्द्रशेखर पिता- कामता सिंह ग्राम+पो०- पिल्लीच थाना- परवलपुर जिला- नालदा	हृदय रोग पीटीसीए+स्टेट	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 732(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं०.. 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नदकिशोर केशरी पिता- लालबहादुर केशरी ग्राम- रामपुर वार्ड 16 पो०- रामपुर थाना- बखरी जिला- बेगूसराय	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002607... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41174672661, खाता धारक का नाम- CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 733(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002607...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड नं०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **09.03.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	इद्रावती देवी पति- मखन राम ग्राम- बलुआ खरौआ पो०- डुमरा थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	फूलों देवी पति- रामगणेश साह ग्राम- नोनुरा पो०- डुमरा थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	चुनचुन देवी पति- खुषनन्दन महतो ग्राम- फकसीअ भर्ती पो०- तिलक ताहिरपुर थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढी	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	तेजन साह पिता- कपूरचद्र साह ग्राम- नोनौरा पो०- डुमरा थाना- रुन्नी सैदपुर जिला- सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	गनौरौ पडित पिता- काशी पडित ग्राम- उफरपुरा पो0- धनौत थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	दुर्गा प्रसाद शर्मा पिता- स्व0 मुशी शर्मा ग्राम- खलीलपुरा पो0+थाना- फुलवारी शरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	महेंद्र माझी पिता- फगुनी मांझी ग्राम- हसनपुरा पो0+थाना- जानीपुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	रजिया परवीन पति- मो0 मसूर ग्राम- इसापुर नहरपर पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	चिंता देवी पति- पचू पासवान ग्राम- ढिबरा हसनपुरा पो0- ढिबरा थाना- जानीपुर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	किशुन मिस्त्री पिता- बट्टी मिस्त्री ग्राम- खलीलपुरा पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	शीला देवी पति- मन्नू मिस्त्री ग्राम- खलीलपुरा पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	राम प्रवेश पासवान पिता- मुंसी पासवान ग्राम- खलीलपुरा पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	शरातिया देवी पति- नन्द किशोर राय ग्राम- उफरपुरा पो0- धनौत थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	रामानुज सिंह पिता- झगरू सिंह ग्राम- कुरकुरी पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	श्याम फुलवा देवी पति- कपिल शर्मा ग्राम- खलीलपुरा पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	हजारी प्रसाद पिता- राम वरण सिंह ग्राम- रानीपुर पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	साजदा खातून पति- असगर अहमद ग्राम- कववाल टोली पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	शकुनतला देवी पति- चदिका प्रसाद ग्राम- जोगिया टोला पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	आशामुन्नी देवी पति- रविद्र प्रसाद यादव ग्राम- बरकागाव तिवारी टोला पो0- बरकागाव थाना- मीरगज जिला- गोपालगज	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	गणेश महतो पिता- प्यारे महतो ग्राम- उत्तरी सधत पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	नरेश चौधरी पिता- बद्री चौधरी ग्राम- कनहैया नगर पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	विनोद साव पिता- राजेद्र साव ग्राम- राष्ट्रीयगज पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	विद्यानद सिंह पिता- देवपूजन सिंह ग्राम- सीसी बोटल गली गोबर टोली पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	राशमुनि देवी पति- रामानुज राम ग्राम+पो0- राजेंद्र नगर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	लक्ष्मीना देवी पति- विदाया राय ग्राम- अमरुदी गली नाला रोड पो0- बाकीपुर थाना- धनरुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	हविव कुरैशी पिता- गुड्डू कुरैशी ग्राम- भंवर पोखर पो0- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	मीणा देवी पति- बसंत साव ग्राम- चाय टोला पो0+थाना- कदमकुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	सोनमातो देवी पति- रामप्रसाद राय ग्राम- दरियापुर गोला पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	सावित्री देवी पति- विनोद राम ग्राम- दरियापुर गोला मोहर टोला पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	सिगासनी देवी पति- राम प्रवेश यादव ग्राम+पो0- कसाप थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	कलावती देवी पति- टेम्हन राय ग्राम+पो0- रामपुर श्यामचंद थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

32	सोनफुला देवी पति- नरेश पासवान ग्राम- हिदुनी पो0- आलमपुर गोनपुरा थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	हीरामनी देवी पति- जानकी चौधरी ग्राम- हिंदुनी पो0- आलमपुर गोनपुरा थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	जवाहर साव पिता- मिश्री साव ग्राम- हिदुनी पो0- आलमपुर गोनपुरा थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	धर्मद्र कुमार पिता- परमा राम ग्राम- हिदुनी पो0- आलमपुर गोनपुरा थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	लालपरी देवी पति- रामवतार पडित ग्राम- बैगनी पो0- ऑफिस बनपुरा थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	शोभा देवी पति- नरेश राम ग्राम+पो0- शकरडीह थाना- परवलपुर जिला- नालदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	गुप्तेश्वर गुप्ता पिता- रामछापित साव ग्राम- चाय टोला कदमकुआ पो0+थाना- कदमकुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
39	लखीचद्र राम पिता- कालीचरण राम ग्राम-अमरुदी गली दिनकर चौक पो0- बांकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

40	सगीरा पिता- मो० बाजिद ग्राम- भनसपट्टी पो०+थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	सुभगो कुवर पति- बबन साव ग्राम- दरियापुर गोला नाला रोड पो०- बांकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	किशोरी राय पिता- किसुन राय ग्राम- अमरूदी गली पो०- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	वेदामि देवी पति- रामचद्र राय ग्राम- सब्जीबाग पो०- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	गोधन राम पिता- तालुका राम ग्राम- मछुआ टोली आर्य कुमार रोड पो०- बांकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	कमला देवी पति- चदेश्वर यादव ग्राम- दरियापुर गोला पो०- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- 8 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 734(14)

पटना, दिनांक 12/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई केयर एंड लेजर सेटर
राजीव नगर रोड न०-०,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुभागो देवी पिता-कृष्णा राय ग्राम-छतरपुर पोस्ट-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	फुलपतिया देवी पति-चारनदीप राय ग्राम-हटरपुर पो०-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	बुढिया देवी पति-चदारिक राय ग्राम-हल्दी छपरा पो०-दुधैला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शारधा देवी पति-सुकर चौहान ग्राम-बरुना पो०-खजुरी थाना-नौबतपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	पर्वा देवी पति-शेरखान राय ग्राम-दुधैला पो0-दुधैला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	बिफिया देवी पिता-बच्चु राय ग्राम-हातरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	दुर्गा देवी पति-लालधर सहनी ग्राम-इस्लामगज पो0-मनेर थाना मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	जेठिया देवी पिता-लालधर सहनी ग्राम-इस्लामगज पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	स्वरसतिया देवी पति-श्रीमाला राय ग्राम-दुद्धीला पो0+थाना मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	जानकी देवी पिता-पोखन राय ग्राम-शेरपुर पो0-शेरपुर थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	मीना देवी पितर-परभा दास ग्राम-हातरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहजहापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	जीरा देवी पिता-स्व0 सोहर राय ग्राम-हातरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	कलावती देवी पिता द्वारपाल राय ग्राम-हेतनपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	लालती देवी पितर-रामनन्दन राय ग्राम-हेतरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	शराबा देवी पति-नारहु राय ग्राम-हतरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	विमला देवी पति-राम यथिर राय ग्राम-हातरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	दीपक राय पिता-राम पयरग लाल ग्राम-हेतनपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	मो0 कलाम पिता-मो0 अस्नायेल ग्राम-अल्मीजान नगर पो0-फुलवारीशरीफ थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	दीनबधु राय पिता-अजब राय ग्राम-दुधैला पो0-दुधैला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	जयनाथ राय पिता-लखन राय ग्राम-दुधैला पो0+थाना मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

21	सगम राय पिता-राजा राय ग्राम-शेरपुर पो0-शेरपुर थाना मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	प्रेमधर राय पिता-लक्ष्मण राय ग्राम-ब्रहाचारी पोखरा पो0-मनेर थाना-मनेर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	सुजन राय पिता-मुशी राय ग्राम-हतरपुर पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	योगेन्द्र राय पिता-टीपन राय ग्राम-हतरपुर पो0 माधोपुर थाना शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	राम नारायण राय पिता-विरदा राय ग्राम-हतरपुर पो0-माधोपुर थाना शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	दीनानाथ राय पिता-भगत राय ग्राम-हतरपुर पो0-माधोपुर थाना शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	ललन प्रसाद पिता-गनौरी प्रसाद ग्राम-अशोक नगर रोड न0-1 पो0-लोहिया नगर थाना ककडबाग जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	सुकन महतो पिता-रघुनाथ महतो ग्राम-रामपुर शेरपुर पो0-शेरपुर थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

29	उमानाथ शर्मा पिता-सरयुग शर्मा ग्राम-फुचटी कला पो0-दयालपुर थाना-एकमा जिला-सारण	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	रामेश्वर साह पिता-मोहन साह ग्राम-दयालपुर पो0 दयालपुर थाना-जनता बाजार जिला-सारण	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	ऋषि देव राय पिता-बिरदाराय ग्राम-हल्दी छपरा पो0-दुधलीया थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	मुनर राय पिता-रमानी राय ग्राम-हल्दी छपरा पोस्ट-दुधैला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	कलपतीया देवी पिता-उज्जैन राय ग्राम-हल्दी छपरा पो0-दुधैला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं0-UBIN0829137 मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 735 (14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


11/3/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	राधिका देवी पति- भनज राय ग्राम- खासपुर पो०- दाउतपुर थाना- मनेद जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	दुखन राय पिता- रामवृक्ष राय ग्राम+पो०- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	लखपति देवी पिता- डोमा राय ग्राम- मोलानीपुर पो०- सादिकपुर थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	हीरा कान्त देवी पति- श्री निवास राय ग्राम- जीवराखन टोला पो०- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	धरमशीला देवी पति- अमरनाथ राय ग्राम- नीलकठ टोला गौरैया सीन पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	जानकी देवी पति- लाडू मोची ग्राम- दयाचक बहपुरा पो0- बहपुरा थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	बसती देवी पति- उधो राय ग्राम- जीवराखन टोला गौरैया स्थान पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	लालती देवी पिता- लोरिक राय ग्राम- हाथी टोला पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	विजय कुमार पिता- यमुना राय ग्राम- नेवती मोहल्ला मनेर पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	शांति देवी पति- सुदल राय ग्राम- नीलकठ टोला गौरैया सीन पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	पतासो देवी पति- भजन राय ग्राम- पतीला पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	चदपरी देवी पिता- रामगति राय ग्राम- हाथी टोला पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	विश्वनाथ सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम+पो0- जमुआं थाना- सन्देश जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	रेखा देवी पिता- रामचद्र राय ग्राम- जीवराखन टोला गोरैया स्थान पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	सुनरपति देवी पिता- कैलाश राय ग्राम- हाथी टोला पो0+थाना- मनेर जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	मालती देवी पति-अर्जुन प्रसाद ग्राम-चकसाई पो0-हजरत साई थाना धनरूआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	कुती देवी पति-लक्ष्मण ग्राम-सीताचक पो0-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	रमेश प्रसाद पिता-सकलदीप प्रसाद ग्राम-सीताचक अतरपुरा पो0-हजरत साई थाना धनरूआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	प्रेमाण चौधरी पिता-गुदर चौधरी ग्राम-हरला पो0-मकीपर थाना-कादिरगज जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	जगदीश चौधरी पिता-नाथुन चौधरी ग्राम-मनकीपर पो0-मनकीपर थाना-कादीरगंज जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	सुगिया देवी पति-बिदा बिन्द ग्राम-हरला पो0-मानकीपर पो0-कादीरगज जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	श्रीदेवी पति-कामेश्वर राम ग्राम-मोरीयावा पो-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	नरेश यादव पिता-शीतल प्रसाद ग्राम-भाईपुर पो0-रारहा थाना धनरूआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	लालती देवी पति-रामपती चौधरी ग्राम-हरला पो0-मानकीपर पो0-कादीरगज जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	मो0 असलम पिता-मो0 इस्लाम ग्राम-रहमतगज पो0-मसौढी थाना-मसौढी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	दिनेश चौधरी पिता-फगु चौधरी ग्राम+पो0-सडा थाना-धनरूआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	गिरजा देवी पति-दिनेश चद्र प्रसाद ग्राम-हजरात साई पो0-हजराज साई थाना-धनरूआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	पुनाई रेविदास पिता-हरि रविदास ग्राम+पो0-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	मेहिलाल प्रसाद पिता-सिया शरण प्रसाद ग्राम-हजरत साई पो0-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

30	मुन्ना प्रसाद पिता-कामेश्वर प्रसाद ग्राम-कुकरबारा पो0-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	कलावती देवी पति-रामाशीष साव ग्राम-हाथी टोला पो0-मनेर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	नदा कुमार राय पिता-स्व0 राम विशुन राय ग्राम-हाथी टोला पो0+थाना मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	पतीपैरी देवी पति-रामा चौधरी ग्राम-इस्लामगज पो0-मनेर थाना मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	राम दुलारी देवी पति-श्याम नारायण सिंह ग्राम-हाथी टोला पो0-मनेर थाना मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	रामनाथ राय पिता-पछी राय ग्राम-नागा टोला गोरेया स्थान पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
36	हीरामुनी देवी पति-कमला सिंह पिता-जीवराखन टोला पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
37	सुगिया देवी पति-भगवान राय ग्राम-मुबारकपुर विजय पथ पो0-दानापुर थाना दानापुर जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
38	पनवा देवी पति-देव सहाय सिंह ग्राम-हाथी टोला पो0-मनेर थाना मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

39	कलावती देवी पति-सुभाष राय ग्राम-नीलकण्ठ टोला गोरेया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
40	राम केसिया देवी पति-राम बाबु राय ग्राम-नीलकण्ठ टोला गोरेया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	फुलमातो देवी पिता-सरजुग राय ग्राम-मुंजी टोला मनेर पो0-मनेर थाना-मनेर जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
42	सगिता देवी पति-चनारी सहनी ग्राम-इस्लामगज पो0-मनेर थाना मनेर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
43	समिली देवी पति-नन्द किशोर सिंह ग्राम-हाथी टोला पो0-मनेर थाना-मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
44	लालती देवी पिता-जगलाल राय ग्राम-हाथी टोला पो0-मनेर थाना-मनेर जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
45	राम उदय ठाकुर पिता-श्रीदेव ठाकुर ग्राम-हाथी टोला पो0+थाना मनेर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
46	केदार शर्मा पिता-राम सुचित शर्मा ग्राम+पो0-करगहर थाना-करगहर जिला-रोहतास	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			4,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,60,000/- (चार लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 736(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

श्री साईं लायन्स नेत्रालय
बी०/144, पी०सी० कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सालो देवी पति—नन्द किशोर प्रसाद ग्राम—चैता पोस्ट—हरही मखदुमपुर थाना—अलीपुर जिला—गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मनकिया देवी पति—जग लाल हरिजन ग्राम—ओरी पो०—मगध थाना इटाढी जिला—बक्सर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	कुती देवी पिता—रामरुवरूप मोची ग्राम—मेन पो०—मेन थाना—मेन जिला गोपालगज	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	भगमनिया देवी पति—हृदयानंद राम ग्राम+पो०—बसुधर थाना—ईटाढी जिला—बक्सर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	आरती देवी पति-संतोष प्रसाद केसरी ग्राम+पो0-इटाढी थाना-इटाढी जिला-बक्सर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	मीना देवी पति-जावोस पासवान ग्राम-त्रिलोक बीघा पो0-कपसियावा थाना-हिलसा जिला नालंदा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	मजु देवी पति-शिव महतो ग्राम-आदर्श कॉलोनी बी छोटी नगला, पो0-माधव मिल्स थाना मालसलामी जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	लालमती देवी पति-शिवव्रत यादव ग्राम-बहनपुर पो0+थाना-मेन जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	राम बली ठाकुर पिता-नथुन ठाकुर ग्राम-मानीकपुर पो0-केसपा थाना अलीपुर जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	राम बल्लभ सिंह पिता-कन्हारि सिंह ग्राम-नोनी पो0-निमसर थाना अलीपुर जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	राज किशोर सिंह पिता-राम जनम सिंह ग्राम-चैता पो0-हरही मखदुमपुर थाना अलीपुर जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	करी देवी पति-अखिलेश माझी ग्राम+पो0-उरुर बिशुनपुर थाना अलीपुर जिला गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	सावित्री देवी पिता-लालु यादव ग्राम-नेमा बीगहा पो0-कोरमाथु थाना-पैबिघा बेलागज जिला गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	शिव चरण शर्मा पिता-प्रयाग शर्मा ग्राम-नुरउद्दीनगज शिव मंदिर पटना सिटी, पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	द्रोपदी देवी पति-दिलिप कुमार रजक ग्राम+पो0-पचपैका थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	दिनेश प्रसाद पिता-रामाश्रय यादव ग्राम-जगरनाथपुर पो0-निमसर थाना-अलीपुर जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	सावित्री कुमारी पति-राजदेव प्रसाद ग्राम-रगु बिगहा पो0-बभना थाना-परसबीघा जिला जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	सुगी देवी पति-बलिराज साह ग्राम-कोच पो0+थाना-ईटाढी जिला-बक्सर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	रीता देवी पति रामानुज सिंह ग्राम-अख्तियारपुर पो0-उर बिशनपुर थाना-अलीपुर जिला-गया	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	बिटोरी देवी पति-अर्जुन चौधरी ग्राम-बरवा पोस्ट-मखदुमपुर थाना-अलीपुर जिला-गया	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

21	मिथिलेश कुमार पिता-रामचंद्र प्रसाद सिंह ग्राम-विवेक बिहार इन फाट आफ 151 हनुमान नगर पो0-लोहिया नगर थाना पत्रकार नगर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 737 (14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं0 002607 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
13/3/26

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कुल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रसीदा खातुन पति-मो० इदरीश राईन ग्राम+पो०-नदौल थाना-मसौढी जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	लालपरी देवी पति-महेन्द्र सिंह ग्राम-सलारपुर पो०-मुराटी थाना-करपी जिला-अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शिव कुमार सिंह पिता-दिलकेश्वर सिंह ग्राम-खोजन पो०-करहरी थाना किजर जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	देव साव पिता-रूपलाल साव ग्राम-मोकर पो०-मोकर थाना-कडौना जिला-जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	सुरेन्द्र कुमार पिता-राम लखन सिंह ग्राम-रोहई पो0-बडा नथु थाना-करपी जिला अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	कमला सिंह पिता-मोधी सिंह ग्राम-बभनियांव पो0-बभनियाव थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	राम जीवन राय पिता-गुगली राय ग्राम-सुरौधा पो0-भिटी सहाबुद्दीन थाना-बनियापुर जिला-सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	हेवन्ती देवी पति-तारकेश्वर साह ग्राम-सुरौधा पो0-भिटी सहाबुद्दीन थाना-बनियापुर जिला-सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	जठिया देवी पति-नागेश्वर राम ग्राम-बाजार भिठी पोस्ट-भिठी सहाबुद्दीन थाना-बनियापुर जिला सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मानती देवी पति-टेगर महतो ग्राम-सुरौधा पो0-भिठी सहाबुद्दीन थाना-बनियापुर जिला सारण	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002607... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200021671321 खाता धारक का नाम- **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC BANK**, शाखा का नाम- **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 738(14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002607 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामप्रवेश चौहान पिता— महावीर चौहान ग्राम— नेवा पो०— डिहरी थाना— पीपडा जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	गौरी चौहान पिता— विष्णु चौहान ग्राम— नेवा पो०— डिहरी थाना— पीपडा जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	उर्मिला देवी पति— खदेरान राय ग्राम— जुरावनपुर करारी पो०+थाना— जुरावनपुर जिला— वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	मालती देवी पति— दुर्गा पासवान ग्राम+पो०— निघवा थाना— कुर्था जिला— अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	विजय यादव पिता— देवनन्दन यादव ग्राम— कैथलोदीपुर पो०— निघवा थाना— कुर्था जिला— अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	मिथलेश यादव पिता- सनीचर यादव ग्राम+पो0- निधवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	पुन्नीया देवी पति- सुमहान यादव ग्राम+पो0- निधवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	फुल कुमारी देवी पति- चद्रदेव यादव ग्राम+पो0- निधवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	लखीया देवी पति- चन्द्रदीप यादव ग्राम- कैथा लादीपुर पो0- कैथा थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	सकलदीप दास पिता- धनु दास ग्राम- कैथालोदीपुर पो0- निधवां थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	हिरामणी देवी पति- अनिरुद्ध यादव ग्राम- कैथा लोदीपुर पो0- निधवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	दौलती देवी पति- उमेश यादव ग्राम- कैथा लोदीपुर पो0- कैथा थाना- कुर्था जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	ननकी देवी पति- अजदेव साह ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	मालती देवी पति- प्रदिप राय ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

15	सरस्वती देवी पति- रामजन्म राय ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	अनार देवी पति- बालक माझी ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	दुली रविदास पिता- बिहारी रविदास ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	यमुना चौहान पिता- लखन चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	राजो चौधरी पिता- जेहल चौधरी ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	द्वारी चौहान पिता- दासिए चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	राधे चौहान पिता- बुडधू चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
22	मुका राय पिता- चलितर राय ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

23	राम बाबु महतो पिता- महादे महतो ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	रघुवीर राय पिता- सकल राय ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	जवाहर साव पिता- मोरग साव ग्राम- सगुनी पो0- रेवा थाना- मसौडी जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	अजब दास पिता- सकलदीप दास ग्राम+पो0- रूस्तमपुर थाना- राघोपुर जिला- वैशाली	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	बेदामिया देवी पति- सुदामा चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	बचिया देवी पति- जयराम चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	राजेद्र चौहान पिता- जितन चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	सुमीत्री देवी पति- लटन चौहान ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

31	गौरी देवी पति- मन्नू चौधरी ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
32	सारो देवी पति- राजो चौधरी ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	लटन चौधरी पिता- नारायण चौधरी ग्राम- नेवा पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE. PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं0 UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा-

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ.) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 739 (14)

पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

रजीत कुमार सिंह
पिता- शरण सिंह
ग्राम- मिश्रा कॉलोनी रक्सौल
पो०+थाना- रक्सौल
जिला- पूर्व चम्पारण
पिनकोड- 845305

पटना दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजीत कुमार सिंह पिता- शरण सिंह ग्राम- मिश्रा कॉलोनी रक्सौल पो०+थाना- रक्सौल जिला- पूर्व चम्पारण पिनकोड- 845305	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं-497310110004515 खाता धारक का नाम- RANJEET KUMAR SINGH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- RAXAUL, IFSC कोड सं- BKID0004973 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 763(14)

पटना, दिनाक 13/3/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002607 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्रमुख

कृपया हमारी महत्त्वपूर्ण आईटी उत्पाद सेवाओं का लाभ लें।

1. कोर बैंकिंग समाधान
2. बहु स्तर बैंकिंग
3. एटीएम सह डेबिट कार्ड
4. इंटरनेट बैंकिंग सुविधा
5. इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण/आरटीजीएस
6. ऑनलाइन शेयर व्यापार
7. ओएलटीएस प्रत्यक्ष करों का ऑन लाइन कर भुगतान
8. बीओआई स्टार ई पे
9. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (जमा और नामे)



कृपया अधिक जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक से मिलें अथवा www.bankofindia.com पर लॉग ऑन करें।

14-02-2011



बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

शाखा / Branch

खाता सं. / S/B. Account No.

नाम / Name

व्यवसाय / Occupation

पता / Address

जारी करने की तारीख / Date of Issue

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

0-175

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

धीरज कुमार गुप्ता
पिता- रामजी प्रसाद
ग्राम- दीघा पाटीपुल अखाडा डीह नियर वाइट हाउस
पो०- दीघा घाट
थाना- दीघा
जिला- पटना
पिनकोड- 800011

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धीरज कुमार गुप्ता पिता- रामजी प्रसाद ग्राम- दीघा पाटीपुल अखाडा डीह नियर वाइट हाउस पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना पिनकोड- 800011	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002607 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-49908100001679, खाता धारक का नाम- DHIRAJ KUMAR GUPTA, खाते का प्रकार- बचत खाता, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम- DIGHA, PATNA, IFSC कोड सं०- BARB0DIGHAX में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 764 (14)


पटना, दिनाक 13/3/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 002607 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

न्यायालय में,



श्रीमान् कार्यपालक दण्डाधिकारी लखनऊ प्रमाणक,

दानापुर (पटना)

शपथ-पत्र

में, धीरज कुमार गुप्ता पिता रामजी प्रसाद, पता- दीघा घाट, थाना- दीघा, जिला- पटना, बिहार शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि :-

1. यह कि CR No. 2023310302 SGPGIMS Lucknow में दिनांक 24.04.2025 को गुर्दा प्रत्योरोपण हुआ है।

2. यह कि गुर्दा प्रत्योरोपण हेतु सी.एम. राहत कोष से मुझे मेरा CR No. 2023310302 SGPGIMS Lucknow पर 3,00,000/- (तीन लाख) रूपया अनुदान राशि प्राप्त हुई थी।

3. यह कि पुनः दर्वा खर्च हेतु प्रथम किस्त के अनुसार मुझे 108000/- रूपया की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसका प्रति मैंने संलग्न किया है। 6 महीने बाद (दूसरी किस्त हेतु)

4. यह कि अस्पताल द्वारा दवा खर्च संलाना 1,44,000/- का लागत बताया गया है जिसका मैं मूल प्रति मैंने संलग्न किया है।

5. यह कि अतः दवा खर्चा हेतु दुसरी किस्त गुर्दा प्रत्यारोपित मरीज को दी जाने वाली अनुदान की राशि प्रदान करने का कष्ट करे :-

बैंक का विवरण :- बैंक ऑफ बरौदा, ब्रांच- दीघा, खाताधारी- धीरज कुमार गुप्ता, खाता संख्या- 49908100001679, IFSC Code BARB0DIGHAX.

यह कि उपरोक्त शपथ-पत्र में लिखी गई सारी बातें मेरी जानाकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ-पत्र के लिए मैं खुद ही जिम्मेवार होऊँगी।

Sri/Smt.....
who is identified by Sn.....
Advocate solemnly affirmed and
declared before me.

A. K. Dwivedi
Notary Public Danapur

धीरज कुमार गुप्ता
Signature of L.T.I.
of the depositor
Signed/ L.T.I. in my presence

26

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100